IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

बजट 2023 का आम आय करदाताओं पर प्रभाव का विश्लेषण

डॉ0आशा बी0 पारछे(सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग राजकीय महाविद्यालय,द्वाराहाट, अल्मोडा)

डॉ0विजय कुमार(सह प्राध्यापक,वाणिज्य विभाग,डी0एस0बी0परिसर,नैनीताल)

परिचय:

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्गला सीतारमण ने भारत सरकार की ओर से अमृत काल का प्रथम बजट प्रस्तुत किया। बजट 2023 कर–निर्धारण वर्ष 2024–2025 तथा वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिए प्रस्तुत किया गया । यह बजट एनडीए सरकार का 9 वां तो वित्त मंत्री निर्गला सीतारमण का 5 वां बजट था। इस आम बजट में करदाताओं के साथ–साथ आम जनता को सहज करने का प्रयास किया गया, जंहा एक ओर न्यूनतम कर सीमा 2,50,000 से बढाकर 3,00,000 की गयी है तो एमएसएमई के लिए 2 लाख करोड रूपये का प्रावधान किया गया तथा बुनियादी ढांचे पर 10 लाख करोड रूपये खर्च करने को प्रस्ताव है । बजट 2023 में सात प्राथमिकताएं होने के कारण इसको सप्तऋषि का नाम दिया गया, सात प्राथमिकताओं में समावेशी विकास,आखिरी पायदान पर खडे लोगों तक पहुंचना, इन्फ्रास्ट्रकचर व विनियोग, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास ,युवा शक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र इत्यादि हैं ।

मुख्य शब्द:

बजट, वित्तीय वर्ष, कर–निर्धारण, सप्तऋषि, करदाता, प्रभाव।

सारणी –1

सप्तऋषि बजट

समावेशी विकास	20,00,000 करोड रूपये कृषि एवं सहकारिता में ऋण का लक्ष्य । स्टार्टअप व भंडारण को बढावा।
आखिरी पायदान पर खडें लोगों तक पहुचंना	5,943 करोड रूपयें एकलव्य स्कूलों को तथा पीवीटीजी योजना शुरू करना।
इन्फ्रास्ट्रकचर व विनियोग	10,00,000 करोड रूपये पूंजीगत निवेश पर खर्च पिछले वर्ष से 33 प्रतिशत अधिक।
क्षमता को उजागर करना	100 प्रयोगशाला ,5 जी सेवा एप विकास के लिए। राष्ट्रीय डाटा शासन नीति, ई कोर्ट का तीसरा चरण, विवाद से विकास योजना।
हरित विकास	10,000 बायो इनपुट संसाधन केंद्र , किसानों को प्राकृतिक कृषि में मदद।
युवा शक्ति	पीएमकेवीवीआई 4.0 शुरू, कोडिगं, ए.आई,रोबोटिक्स, 3डी प्रिंटिग जैसे पाठयक्रम शामिल होंगे तथा राज्यों में यूनिटी मॉल स्थापित होंगे।
वित्तीय क्षेत्र	2,00,000 करोड रूपये की कुल ऋण गारंटी एमएसएमई के लिए नौ हजार करोड का प्रावधान हैं

स्रोत–बजट 2023

उददेश्यः

इस शोध पत्र का उददेश्य बजट 2023 का आम करदाताओं पर क्या प्रभाव होगा इसका अध्ययन विभिन्न मान्यताओं के आधार पर करना है।

शोध क्रियाविधिः

प्रस्तुत शोध पत्र के द्वितीयक समंकों का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक समंक बजट 2023 तथा बजट 2022 के साथ –साथ पूर्व में प्रस्तुत किये गए बजट के माध्यम से संकलित किए गए है साथ ही इस विषय पर प्रकाशित पुस्तकों,जर्नल, मैग्जीन ,पत्रिकाओं, न्यूज पेपर, यू–टयूब चैनल तथा लेख को भी आधार बनाया गया है। द्वितीयक समंकों के आधार पर सांख्यिकी विधियों से विश्लेषण किया गया है तत्पश्चात निष्कर्ष एवं सुझाव दिये गए हैं। इस शोध पत्र के लिए कर–निर्धारण वर्ष 2023–2024 तथा कर–निर्धारण वर्ष 2024–2025 की कर दरों के आधार पर आयकर दाताओं के विभिन्न आय के समूह बना कर विश्लेषण किया गया है। दो मान्यताओं को ध्यान में रखकर विश्लेषण किया गया एक कि करदाता ने आयकर अधिनियम की सभी बचत तथा विनयोग में निवेश के साथ –साथ प्रमाप कटौती का लाभ लेते हुए 6 लाख रूपये की बचत का लाभ लिया है। दूसरी मान्यता यह है कि करदाता ने कोई भी विनयोग एवं बचत में निवेश नही किया मात्र प्रमाप कटौती का लाभ लिया है। बजट 2023 का आम करदाताओं पर प्रभाव का अध्ययन के लिए पुरानी कर व्यवस्था तथा नयी कर व्यवस्था के अनुसार कर की गणना की गयी है तथा यह अध्ययन किया गया कि दोनों व्यवस्था में करदाता का करदायित्व बढता है या घटता है अर्थात करदाता को कर की बचत होती है या कर का भार बढता है। अध्ययन के लिए विभिन्न श्रेणी करदाताओं तथा विषय विशेषज्ञों से प्रत्यक्ष रूप से परामर्श एवं चर्चा कर विश्लेषण के पश्चात सुझाव दिये गए है।

साहित्य समीक्षा :

- सोपन काशीनाथ(2016)एए स्टडी ऑफ इन्कम टैक्स इन इंडियाः टैक्सपेयर पाइंटव्यू, शोध में करदाता के दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया तथा इसमें करदाता का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान का अध्ययन हुआ
- त्यागी अंजली, (2021)एन एनेलेटीकल ऑफ इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर,,2021 रिर्सचर द्वारा अपने शोध में इंडियन टैक्स ट्रक्चर पर विशेष विश्लेषण किया।
- सरोजदेवी राजेन्द्रन,(2023)टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया रिसर्च पेपर में भारतीय कार ढांचे का विवरण देते हुए व्यक्तियों के जीवन पर कर का प्रभाव का अध्ययन भी किया।
- किशोार पी भोलने(2020), एनेलेटीकल स्टडी ऑफ टैक्स रिवेन्यू क्लैक्शर इन इंडिया, रिसर्च पेपर में वर्ष 2013 –2014 से 2017 –2018 तक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष से प्राप्त कर का विश्लेषण एवं अध्ययन किया तथा जीडीपी मे ंकर के अनुपात का भी अध्ययन किया।
- गौरव कुमार जालन (2019)एइम्पैक्ट ऑफ इन्कम टैक्स ऑन द रिवेन्यू ऑफ गर्वमेंट, इस शोध पेपर में आयकर का भारतीय रिवेन्यू पर प्रभाव का अध्ययन किया।

विश्लेषणः

सारणी –2

बजट 2023 एक दृष्टि में

क्र0स0	आय लाख रूपयें में	कर प्रतिशत में	कर रूपयें में
1	₹ 3,00,000	कोई कर नहीं	0
2	₹3,00,000– 6,00,000	5	₹15,000
3	₹6,00,000– 9,00,000	10	₹30,000
4	₹9,00,000– 12,00,000	15	₹45,000
5	₹12,00,000– 15,00,000	20	₹60,000
6	₹15,00,000 से ऊपर	30	₹1,50,000 + अतिरिक्त आय का 30 प्रतिशत

स्रोत – बजट 2023 पर आधारित।

बजट 2023 में ऐसे करदाताओं को आयकर के दायरे से बाहर किया गया है जिनकी आय वार्षिक 3 लाख रूपये तक है यह कर की दर उन्ही करदाताओं पर लागू होगी जिनकी आय प्रमाप कटौती के पश्चात सात लाख रूपये से अधिक हो । इस बिल के अनुसार 15 लाख तक आये वाले करदाताओं को एक लाख पचास हजार तक का करभार के साथ शिक्षा एवं स्वास्थ उपकर देना होगा। करदाता जिनकी आय 15 लाख से अधिक है को पन्द्रह लाख तक की आय पर एक लाख पचास हजार रूपये तथा पन्द्रह लाख से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत कर देना होगा साथ ही कुल आयकर पर सरचार्ज लागू होता हो तो सरचार्ज और शिक्षा एवं स्वास्थ उपकर 4 प्रतिशत की दर से देना होगा।

सारणी–3

पुरानी कर व्यवस्था के अनुसार कर–निर्धारण वर्ष 2023–2024 में कर की दर

क्र0सं0	यदि कर दाता की आयु 60 वर्ष तक हो		यदि कर दाता की आयु 60 वर्ष से अधिक परन्तु 80 वर्ष तक हो		यदि कर दाता की आयु 80 वर्ष से अधिक हो	
1.	वार्षिक आय	कर की दर	वार्षिक आय	कर की दर	वार्षिक आय	कर की दर
2.	2,50,000	0	3,00,000	0	--	---
3.	2,50,000–5,00,000	5	3,00,000–5,00,000	5	5,00,000	0
4.	5,00,000–10,00,000	20	5,00,000–10,00,000	20	5,00,000–10,00,000	20
5.	10,00,000 से अधिक	30	10,00,000 से अधिक	30	10,00,000 से अधिक	30

स्रोत–वित्त अधिनियम 2022।

उपरोक्त कर व्यवस्था में 50,000 प्रमाप कटौती के साथ धारा 87AA के अन्तर्गत 12,500 की राहत भी ऐसे कर दातओं की दी गयी है जिनकी कुल आय पांच लाख रूपये तक हो।

सारणी–4

नवीन कर व्यवस्था के अनुसार कर–निर्धारण वर्ष 2023–2024 में कर की दर

1.	वार्षिक आय	कर की दर
2.	2,50,000	0
3.	2,50,000–5,00,000	5
4.	5,00,000–7,50,000	10
5.	7,50,000–10,00,000	15
6	10,00,000–12,50,000	20
7	12,50,000–15,00,000	25
8	15,00,000 से अधिक पर	30

स्रोत–वित्त अधिनियम 2021 तथा 2022।

उपरोक्त में नियमानुसार सरचार्ज तथा 4 प्रतिशत स्वास्थ एवं शिक्षा उपकर भी कर में लगाया जायेगा। करदाताओं के पास अपनी बचत,विनयोग तथा अन्य आयकर प्रावधानों के साथ यह विकल्प रहा कि उक्त नवीन एवं पुरानी करव्यवस्था में से किसी भी कर व्यवस्था को अपनी सुविधा के अनुसार चयनित कर सकते हैं। उक्त में नयी कर व्यवस्था को अपनाने में करदाता को मिलने वाली सभी कटौतियों को छोडना पढता परन्तु 80सीसीडी(2)अथवा 80सीसीएच(2)अथवा 80जेजेएए की कटौती का लाभ करदाता ले सकता है। इस व्यवस्था में ऐसे व्यक्तिगत एवं हिन्दु अविभाजित परिवार को यह विकल्प था कि वह एक बार नवीन कर व्यवस्था को अपनाकर उसके बाद दूसरी कर व्यवस्था को अपना सकता है बशर्ते उसकी व्यापार से आय न हो।

कर–निर्धारण वर्ष 2023–2024 तक पुरानी कर व्यवस्था तथा नवीन कर व्यवस्था में कर दाताओं को विभिन्न आधारों पर यह चयन करना होता था कौन सी व्यवस्था करदाता के लिए लाभदायक होगी पुरानी कर व्यवस्था में सभी कर प्रावधानों के अनुसार कुल मिलाकर 6,00,000 लाख रूपये तक की छूट का लाभ करदाता ले सकता है।यह विश्लेषण करदाता अपनी आय ,बचत, विनयोग तथा अन्य प्रावधानों के अनुसार करता है क्योकि आय के अलग–अलग स्तर पर विश्लेषण करने पर अलग –अलग विकल्प लाभदायक होगे।

सारणी–5

कर–निर्धारण वर्ष 2023– 2024 तक लागू कर व्यवस्थाओं तथा कर–निर्धारण वर्ष 2024–2025 की नवीन कर व्यवस्था के अनुसार विश्लेषण

क्र0सं 0	वार्षिक आय (सामान्य कर दाता जिसकी आयु 60 वर्ष से कम हो)	कर योग्य आय सभी बचत विनियोग तथा प्रमाप कटौती के पश्चात	कर की दर कर निर्धारण वर्ष 2023 –2024 की पुरानी कर व्यवस्था के अनुसार	कर योग्य आय सभी बचत विनियोग तथा प्रमाप कटौती के पश्चात	कर की दर कर निर्धारण वर्ष 2024 –2025 के लिए नयी कर व्यवस्था के अनुसार	कर बचत/ कर भार	प्रभाव

1..	3,00,000	0	0	2,50,000	0	0	कोइ प्रभाव नहीं
2.	6,00,000	0	0	5,50,000	0	0	कोइ प्रभाव नहीं
3.	9,00,000	3,00,000	0	8,50,000	41,600	41600	41,600 अधिक कर
4.	12,00,000	6,00,000	33,800	11,50,000	85,800	51800	51800 अधिक कर
5.	15,00,000	9,00,000	96,200	14,50,000	1,45,600	49400	49400 अधिक कर
6.	25,00,000	19,00,000	397800	24,50,000	4,68,000	70,200	70200 अधिक कर

स्रोत– बजट 2022 एवं 2023 की कर दरों के आधार पर विश्लेषण।

बजट 2023 में कर –निर्धारण वर्ष 2024 –2025 तथा वित्त वर्ष 2023–2024 के लिए 7 लाख रूपये वार्षिक आय वाले कर दाताओं को आयकर से छूट दी गयी है साथ ही इस व्यवस्था में पचास हजार रूपये की मानक कटौती भी इस वर्ष से लागू की गयी है। आयकर से छूट की पहले सीमा 5 लाख रूपये थी जिसे 7 लाख कर दिया गया है। अतः ऐसे करदाता जिनकी आय 7 लाख रूपये से अधिक है पर नयी कर की दरें प्रभावी होंगी परन्तु जिनकी आय सात लाख से कम है आय कर से मुक्त होंगे।

सारणी – 5 में कर –निर्धारण वर्ष 2023–2024 तथा 2024– 2025 के लिए लागू कर दरों के आधार पर कर दायित्व का विश्लेषण किया गया है तथा यह देखने का प्रयास किया गया कि एक आम कर दाता जिसकी आयु गत वर्ष में 60 वर्ष से अधिक नहीं है पर पुरानी कर व्यवस्था के अनुसार कर दायित्व तथा बजट 2023 के अनुसार नयीं कर व्यवस्था में कर दायित्व का कर दाता पर कितना प्रभाव पडेगा? उपरोक्त विश्लेषण में पुरानी कर व्यवस्था में यह मानकर विश्लेषण किया गया है कि उसने आयकर अधिनियम के अन्तर्गत सभी छूट तथा प्रमाप कटौती का लाभ लिया है तथा इस प्रकार उसने कुल 6,00,00 रूपये की बचत का लाभ लिया है तथा नयी कर व्यवस्था में उसे मात्र प्रमाप कटौती पचास हजार रूपये का लाभ लिया है तथा 7,00,00 रूपये तक की आय कर के दायरे से बाहर है अर्थात ऐसे कर दाताओं पर कर नही पढा है जिनकी आय सात लाख रूपये से अधिक नहीं है ।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे करदाता जिनकी आय 6 लाख रूपये तक है पर दोनों ही स्थितियों में कर भार नहीं है अर्थात वह कोई सा भी विकल्प चुन सकते हैं कर दायित्व शून्य होगा। ऐसे करदाता जिनकी कुल आय 9 लाख रूपये है उन पर पुरानी कर व्यवस्था में कोई कर नहीं देना होता था जबकि नयी व्यवस्था में 41,600 रूपये का कर दयित्व होगा। 12 लाख रूपये तक की वार्षिक आय वाले करदाता को पहले 33,800 रूपये कर के लिये चुकाने पढते है परन्तु यदि वह नयी कर व्यवस्था का विकल्प लेता है तो उसको 85,800 रूपये कर के रूप में देने होंगे अर्थात 51,800 का अतिरिक्त कर भार होगा । करदाता जिनकी आय 15 लाख वार्षिक तक है को बजट 2022 की पुरानी कर–व्यवस्था के अनुसार 96,200रूपये कर भार है जबकि बजट 2023 की नयीं कर व्यवस्था के अनुसार कर भार 1,45,600 रूपये होगा, इस प्रकार 49,400 रूपये का अतिरिक्त कर भार होगा। 25 लाख तक की वार्षिक आय वाले कर दाता को पहले कर के रूप में 3,97,800 रूपयें का भुगतान करना होता था जबकि नयी कर व्यवस्था में 4,68,000 रूपये का भुगतान करना होगा तथा 70,200 का अतिरिक्त भार सहन करना होगा।

अतः आय के विभिन्न स्तरों पर विश्लेषण करने के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि 6 लाख तक की आय वाले करदाताओं पर नयी कर व्यवस्था का कोई भी प्रभाव नहीं पढता है अर्थात वह किसी भी विकल्प को चुन सकते हैं परन्तु ऐसे करदाता जिन्होने बचत एवं विनयोग किया है का नयी कर व्यवस्था में नकारात्मक प्रभाव पढेगा अर्थात

उन्हें पहले की अपेक्षा अधिक कर दायित्व का भुगतान करना होगा इसलिए ऐसे करदाताओं के लिए नयी व्यवस्था आर्थिक रूप से नुकसान दायक है तथा पुरानी कर व्यवस्था आर्थिक रूप से तो लाभदायक है ही साथ ही भविष्य के लिए बचत तथा विनयोग को प्रोत्साहित करने वाली है।

सारणी–6

कर–निर्धारण वर्ष 2023– 2024 तक लागू कर व्यवस्थाओं तथा कर–निर्धारण वर्ष 2024–2025 की नवीन कर व्यवस्था के अनुसार विश्लेषण(जब करदाता का कोई बचत न हो)

क्र0सं0	वार्षिक आय (सामान्य कर दाता जिसकी आयु 60 वर्ष से कम हो)	कर योग्य आय प्रमाप कटौती के पश्चात	कर की दर कर निर्धारण वर्ष 2023 –2024 की पुरानी कर व्यवस्था के अनुसार	कर योग्य आय सभी बचत विनियोग तथा प्रमाप कटौती के पश्चात	कर की दर कर निर्धारण वर्ष 2024 –2025 के लिए नयी कर व्यवस्था के अनुसार	कर बचत	प्रभाव
1..	3,00,000	2,50,000	0	2,50,000	0	0	कोइ प्रभाव नहीं
2.	6,00,000	3,50,000	5000	5,50,000	0	5000	5000 कर बचत
3.	9,00,000	8,50,000	1,06,600	8,50,000	41,600	65,000	65,000 कर बचत
4.	12,00,000	11,50,000	1,63,800	11,50,000	85,800	78000	78000 कर बचत
5.	15,00,000	14,50,000	2,57,400	14,50,000	1,45,600	1,11,800	1,11,800 कर बचत
6.	25,00,000	24,50,000	5,69,400	24,50,000	4,68,000	1,01,400	1,01,400 कर बचत

स्रोत– बजट 2022 एवं 2023 की कर दरों के आधार पर विश्लेषण।

उपरोक्त सारणी–6 का वित्त अधिनियम 2022 तथा वित्त अधिनियम 2023 की पुरानी तथा नयी कर व्यवस्था के अनुसार इस मान्यता के आधार पर विश्लेषण किया गया है कि कर दाता की आयु 60 वर्ष से कम है तथा उसे किसी भी प्रकार की बचत,विनयोग तथा प्रमाप कटौती के अतिरिक्त कोई भी कटौती का अधिकार नहीं रखता अर्थात उसने इसका लाभ नहीं लिया है। इस विश्लेषण से जो परिणाम प्राप्त हुएं हैं उससे स्पष्ट है कि तीन लाख की आय तक दोनों विकल्प एक समान है अर्थात कोई प्रभाव नहीं पढता कि करदाता पुरानी व्यवस्था को चुने अथवा नयी व्यवस्था को। जैसे–जैसे आय बढती जाती है वैसे वैसे तुलनात्मक विश्लेषण बताता है कि नयीं कर व्यवस्था में करदायित्व कम होता जाता है तथा आयकर के रूप में बचत होती जाती है। ऐसे कर दाता जिनकी आय 6 लाख

रूपये है वह पुरानी कर व्यवस्था के अनुसार उन पर पांच हजार रूपये का कर दायित्व होता है जबकि नयी करव्यवस्था में शून्य करदायित्व होता है। नौ लाख की आय पर उसको 1,06,600 कर देना पढता परन्तु नये स्लैब में 41,600 रूपये का करदायित्व होने के कारण 65,000 रूपये उसने कर के रूप में बचत कर ली। बारह लाख की वार्षिक आय पर नयीं कर व्यवस्था में करदाता के करदायित्व में 78,000 रूपये की कमी आयी है। 1,11,800 रूपये की कर बचत ऐसे करदाताओं की होगी जिनकी आय पन्द्रह लाख रूपये तक है जबकि यदि कुल आय पचीस लाख है तो करदाता को पुरानी करव्यवस्था में 5,69,400 रूपये कर का भुगतान करना पडता था जोकि नयी व्यवस्था में कम होकर 4,68,000 रूपये हो गया इस प्रकार उसने इस आय पर 1,01,400 की कर बचत की है।

उपरोक्त सारणी –5 तथा 6 के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि वित्त अधिनियम 2023 यह विकल्प करदाता को देता है कि जितनी ज्यादा बचत और विनयोग आयदाता करता है उतना उस पर कर दायित्व पुरानी कर व्यवस्था में कम होगा जिसका करदाता पर यह स्पष्ट रूप से प्रभाव होता है कि एक तरफ तो बचत और विनियोग से उसने भवष्यि की सुरक्षित किया है तथा दूसरी ओर उसने करदायित्व कम करके कर के रूप में पैसा बचाया है। ऐसे करदाता जो आयकर अधिनियम की प्रमाप कटौती के अतिरिक्त अन्य किसी भी कटौती के योग्य नहीं है उसको पुरानी कर व्यवस्था में बहुत अधिक करभार सहन करना पढेगा जबकि नयीं कर व्यवस्था में उसको उतना ही कर बचत के रूप में लाभ होगा अर्थात करदाता के हाथ में खर्च के लिए नकदी अधिक होगी क्योकि उसने करभार को कम करके अत्याधिक बचत की है।

निष्कर्ष :

शोध पत्र में विभिन्न पहलूओं का गहनता से अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष के रूप में यह कह जा सकता है कि करदाता के दृष्टिकोण से बजट 2023 की नयी कर व्यवस्था तथा पुरानी कर व्यवस्था अलग–अलग मान्यता के आधार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालनी वाली है। नयी कर व्यवस्था उन करदाताओं के लिए अत्यन्त लाभकारी है जिनकी कोई बचत या निवेश नहीं है, ऐसे करदाताओं को कर से बचत के रूप में अधिक बचत हो रही है जिससे उसके पास अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अधिक धन होगा। परन्तु इसका नकारात्मक पहलू भी है कि करदाता कर का भार कम होने के कारण बचत तथा निवेश के लिए प्रोत्साहित नहीं हो रहा है जिससे भवष्यि की अनिश्चिता और बढ रही हैं। पुरानी कर व्यवस्था उन करदाताओं को प्रोत्साहित भी करती है तथा कर का भार भी कम करती है जिन करदाताओं ने आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं का लाभ लिया तथा बचत एवं निवेश किया ,क्योकि पुरानी कर व्यवस्था में ऐसे करदाताओं को नयी की अपेक्षा कम भार होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि विभिन्न मान्यताओं तथा पहलूओं के दृष्टिगत दोनों ही व्यवस्था करदाताओं के लिए लाभदायक है करदाता को अपनी आवश्यकता के अनुरूप विकल्प को चयन करना चाहिए।

सुझावः

प्रस्तुत शोध पत्र के लिए विभिन्न विषय विशेषज्ञों, विभिन्न स्तर के करदाताओं से परामर्श किया गया, विभिन्न पोडकास्ट, टीवी इन्टरव्यू, बजट रिव्यू तथा राष्ट्रीय न्यूज का अध्ययन तथा आम करदातओं से विस्तृत चर्चा की गयी तत्पश्चात विश्लेषण करने के बाद सुझाव दिये जा रहे हैं जो इस प्रकार हैं–

आम करदाता भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य धुरी है तथा जीडीपी में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। आम करदाता करों तथा व्ययों की अधिकता के कारण परेशान है। अधिकतर व्यय ऐसे है जो आम जनमानस के लिए महत्वपूर्ण है परन्तु उसका आयकर अधिनियम में छूट का कोई प्रावधान नही है। स्वास्थ पर किये गये व्यय जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परन्तु आयकर अधिनियम की धारा 80 डीडीबी में चिकित्सा व्यय के नाम पर केवल सूचीबद्ध बीमारियों के ईलाज के लिये कर से छूट मिलती है। चिकित्सा चाहे किसी भी प्रकार की हो उसे भी इस धारा के अर्न्तगत कटौती मिलने से आम करदाता को राहत मिलेगी। बच्चों की शिक्षा पर

किये गए व्यय जो दूसरा महत्वपूर्ण व्यय है जिसके लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 सी में राहत तो है परन्तु धारा 80 सी से 80 सीसीसी में अधिकतम कटौती 1,50,000 रूपये है जो जीवन बीमा पालिसी तथा फण्ड से ही पूरा हो जाता है जिस कारण बच्चों की शिक्षा पर व्यय की छूट नहीं मिल पाती है इसलिए आयकर अधिनियम की धारा 80 सी से इस व्यय को अलग कर अलग से प्रावधान किया जाना चाहिए। आम करदाता कर चुकाने के पश्चात विभिन्न अवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ऋण लेता है जैसे वाहन ऋण शादी विवाह के लिए ऋण परन्तु ऋण के रूप में चुकायी गयी इस राशि पर भी उसको कर देना होता है अतः गृह ऋण की भांति करदाता को इन सभी प्रकार के ऋण पर दिये गये ब्याज की छूट के लिए प्रावधान होना चाहिए। एक आम करदाता जिसकी वार्षिक आय 10 लाख से ऊपर है पर बहुत ऋणों का भार होता है जैसे– गृह ऋण, वाहन ऋण तथा अन्य व्यक्तिगत ऋण इन ऋणों को चुकाने में उसकी बचत कुछ भी नही होती है जनवरी माह में बच्चों की स्कूल फीस तो फरवरी माह में उसका पूरा वेतन कर चुकाने में चला जाता है जिस कारण से मार्च व अप्रैल माह में उसको आर्थिक तंगी का सामना करना होता है। अतः पुरानी आयकर व्यवस्था में 10 लाख से अधिक की आय पर जो 30 प्रतिशत वाला भाग है उसकी सीमा बढाकर पन्द्रह लाख की जानी चाहिए जिससे इस गुप्र के करदाता के साथ न्याय हो सके क्योकि ये ही गुप्र ऐसा है जिसकी आय तो कम है क्योकि ऋण की अधिकता के कारण उसके पास नकद बचत नहीं है तथा कर की अधिकता अधिक है।

सन्दर्भ साहित्यः

- गौरव कुमार जालन ,एइम्पैक्ट ऑफ इन्कम टैक्स ऑन द रिवेन्यू ऑफ गर्वमेंट,इन्टरनैशनल जर्नल ऑफ क्रियेटिव रिसर्च थॉट,पृ0सं0843, 2019।
- त्यागी अंजली, एन एनेलेटीकल ऑफ इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर,एंलियांस यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ,नवंबर,2021
- नजीना ए. तथा आर सरोजदा देव,टैक्सस्ट्रक्चर इन इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ कार्मस,करपागाम ऐकेडेमी ऑफ हायरऐजूकेशन,मुक्त शब्द जर्नल, जून 2023 पृ0सं01368।
- किशोार पी भोलने, एनेलेटीकल स्टडी ऑफ टैक्स रिवेन्यू क्लैक्शर इन इंडिया, उवर हेरिटैज जर्नल पृ0स041पृ0स041,2020
- अरिंदम दास गुप्ता एवं राधिका गुप्ता,इन्कम टैक्स कॉमपिलियांस इन इंडिया एन इम्पीरिकल एनेलेशश,नैशनल इंस्टीयूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एण्ड पॉलिसी,नई दिल्ली,पृ0स02051,1995।
- आर.एस.एम.जोशिता एवं अन्य, ए स्टडी आन इंडिविजवल टैक्स पेयर्स एटीटयू डइन थैनी डिस्ट्रीक्ट ए डाटा माइनिंग एर्पोच,इंटरनैशनल जर्नल ऑफ कंप्यूटर साईसं रिसर्च जर्नल, पृि0स037–.48, 2013।
- दि इकोनॉमिक्स टाईम्स 12 फरवरी ,2023।
- http://www.ndtv.com.business,unionbudget2023, 2feb,2023.
- http://www.businesstoday.in,unionbudget2023-2024:why old tax regime is better, 1feb,2023.
- Indianexpress.com.